



पटना नगर निगम

ब्लॉक सी, द्वितीय तल, मौयलीक कम्पलेक्स, डाक बंगला रोड, पटना 800001



पत्र संख्या- 306 /प0न0न0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री दिवाली राय,
S/O-स्व0 हरि राय,
हरनीचक, अनीसाबाद, पटना।
मोबाईल नं0-9304466599

पटना, दिनांक-...12/01.../2017 ई0।

विषय:- प्लान केस सं0-P/Harnichak/PRN/G+4/112/2016 की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Harnichak/PRN/G+4/112/2016 दिनांक-07.04.2016 के संदर्भ में श्री दिवाली राय, हरनीचक, अनीसाबाद, पटना भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं0-315 (अंश), थाना-बेऊर, थाना सं0-34, तौजी सं0-5125, खाता सं0-102, मौजा-हरनीचक, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 417.72 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 09.114 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

✓

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। यदि सरकारी अमीन, श्री शिव शंकर, दानापुर नगर परिषद निजामत द्वारा दिया गया स्थल मापी प्रतिवेदन में भविष्य में त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये अमीन पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा एवं इसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

